RBE No. 123 /2000

SC No. 11TO MC No.24

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I/2000/TR/17 New Delhi, dated 26-6-2000

The General Managers (P)
All Indian Railways and
Production Units.
(As per Standard List).

Sub: Periodical transfer of Railway employees.

1.E(NG)II/78/TR/85 dated 27.4.79.
2.E(NG)II/78/TR/82 dated 7.2.80
3.E(NG)I/80/TR/28 dated 22.8.80, 31.12.81, 19.2.86 and 16.10.87.
4.E(NG)I/87/TR/34 dated 27.9.89 and 17.11.92
5.E(NG)I/94/TR/29 dated 2.5.95
6.E(NG)I/96/TR/42 dated 26.11.96.

In terms of the instructions contained in the Ministry's marginally noted letters, Railway employees holding sensitive posts, including those who frequently come into contact with public and/or contractors/suppliers, are required to be transferred every four years. For this purpose, a comprehensive list of sensitive posts has also been circulated. The thrust of these instructions is on transfer from one place to another. However, when transfer of such employees to a different place is not possible, they are to be shifted to a different seat in the same place to meet the requirement of periodical transfer.

1.E(NG)I/80/TR/28 dated 22.1.82, 19.2.86, 16.10.87, 21.7.88 and 13.4.89.
2.E(NG)I/92/TR/32/ JCM(DC) dated 10.8.93, 5.5.94 and 29.6.95
3.E(NG)I-98/TR/11 dated 30.10.98 and 2.11.98

2. Instructions also exist vide this Ministry's letters quoted in the margin that Ticket Checking staff as also other staff in mass contact areas, detected to be indulging in malpractices should be sent on inter-divisional transfers as a matter of policy. Besides, the staff who have repeatedly figured in substantiated vigilance cases and where penalties have been imposed, are required to be reviewed at appropriate level and such staff are also to be transferred on inter-divisional basis.

....2/-

3. It has been brought to the notice of this Ministry that the extant instructions on periodical transfer are being interpreted differently by different Railways. The matter has therefore been considered by the Board and the position is clarified in the following paragraphs.

4. The instructions for periodical transfer of Railway employees cover two broad categories of staff :-

(i) (a) The first category includes staff of the Commercial Department (such as Commercial Supervisors, Enquiry-cum- Reservation Clerks / Booking Clerks, Goods Clerks, Parcel Clerks, Ticket Checking staff etc.) and the staff of the Operating Department(SSs/SMs/ ASMs etc.)

(b) In order to avoid large scale dislocation in the case of this category of staff, periodical transfers may, as far as possible, be effected without involving a change of residence of the staff concerned, so long as the fundamental objectives of such transfers can be achieved by transferring such staff to a different location in the same station or to a different station in the same urban agglomeration.

(c) However, the instructions regarding inter-divisional/inter-railway transfer of staff detected to be indulging in malpractices or substantiated vigilance cases shall continue to be strictly complied with.

(ii) In the second category, consisting mainly of staff working in offices such as Pay Bill Sections, Stores Offices, Accounts Offices, Fuel Sections, Medical Department, etc., who cannot normally be transferred to another place for reasons like the seniority unit being different/very small, the office being localised etc. a change in seat which will result in change in the nature of job being performed by the staff, will meet the requirements of periodical transfer.

5. In the cases of transfers of office bearers of the two recognized Unions to another place outside the existing trade Union jurisdiction, the instructions contained in Railway Board's letter No.E(L)61FE1-43 dated 31.7.1961 shall be applicable. Accordingly, the proposed periodical transfer, if it involves change in the trade Union jurisdiction may be

...3/-

(8)

allowed to pend till the next election of the union office bearers subject to the maximum period of one year, provided the transfer is not necessitated earlier under circumstances indicated in para 4 (i) (c) above.

Please acknowledge receipt.

(J.S.Gusain)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board

No. E(NG)I-2000/TR/17 **New Delhi, dated 26-6-2000**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All India Railwaymen Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E , Rail Bhavan, New Delhi(with 35 spares).

3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).

4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

for Secretary / Railway Board.

Copy to:-

PSs to MR,MSR(B),MSR(D)
PPSs to CRB, FC,MS,MM,MT,ML,ME.
PPSs to_AM(S),DG/RHS,DG/RPF

PSs to EDE,EDV,EDE(N),EDE(Res),EDA,EDE(IR),EDE(RRB)
EDPCI&II,D(MPP),DPC,DE(Res),JDE(R) I&II,JDE(Rep),JDE(D&A),

....4/-

(with five spares)

JDPC,JDE(L),DDE(R)I&II,DD(Code Revision), DDE(LR)I, JDE(N)II, DDE(N)-II,E(NG)II,E(O)III,E(GR)II,E(Rep)I, II&III, E(SCT)I&II, E(MPP),SEC(E), PR Branch,E(G) with two spares, AC-III(with 15 spares), Code Revision Cell (with 5 spares).

.....

आर बी ई सं. 123 /2000
एम सी सं.24का एस सी सं. 11

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एन जी)I/2000/टी आर/17 नई दिल्ली 26 . 6. 2000

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय:- रेल कर्मचारियों का आवधिक स्थानांतरण

----------xxxx----------

1. ई(एन जी)II/78/टी आर/85 दिनांक 27. 4. 79
2. ई(एन जी)II/78/टी आर/82 दिनांक 7. 2. 80
3. ई(एन जी)I/80/टी आर/28 दिनांक 22. 8. 80, 31. 12. 81 19. 2. 86 एवं 16. 10. 87
4. ई(एन जी)I/87/टी आर/34 दिनांक27. 9. 89 एवं17. 11. 92
5. ई(एन जी)I/94/टी आर/29 दिनांक 2. 5. 95
6. ई(एन जी)I/96/टी आर/42 दिनांक 26. 11. 96

इस मंत्रालय के पार्श्वांकित उल्लिखित पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, संवेदनशील पद धारण करने वाले रेल कर्मचारी जिनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं. जो बारम्बार जनता और/ या ठेकेदारों/सप्लाईकर्ताओं के सम्पर्क में आते हैं, उन्हें प्रत्येक चार वर्ष में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है। इस प्रयोजन के लिए संवेदनशील पदों की एक विस्तृत सूची भी परिपत्रित की गई है। इन अनुदेशों का उद्देश्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना है। बहरहाल

जब ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्य स्थान पर करना संभव न हो तो आवधिक स्थानांतरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसी स्थान पर किसी अन्य सीट पर शिफ्ट कर दिया जाए।

1. ई(एन जी)1/80/टी आर/28 दिनांक 22.1.82, 19.2.86, 16.10.87, 21.7.88 एवं 13.4.89
2. ई(एन जी)1/92/टी आर/32/जे सी एम (डी सी) दिनांक 10.8.93, 5.5.94 एवं 29.6.95
3. ई(एन जी)1-98/टी आर/11 दिनांक 30.10.98 एवं 2.11.98

पार्श्व में उल्लिखित इस मंत्रालय के पत्रों में भी अनुदेश मौजूद हैं कि कदाचार में संलिप्त पाए गए टिकट जांच कर्मचारियों और जनसंपर्क क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों को भी नीति के तौर पर अन्तर्मंडलीय स्थानांतरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे कर्मचारियों की जिनके विरूद्ध बार-बार सतर्कता संबंधी मामले सिद्ध हुए हैं और जिनके ऊपर दंड आरोपित किए गए हों, उपयुक्त स्तर पर समीक्षा की जानी अपेक्षित है और ऐसे कर्मचारियों का अन्तर्मंडलीय आधार पर स्थानांतरण भी किया जाए।

3. रेल मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है कि आवधिक स्थानांतरण पर वर्तमान अनुदेशों का विभिन्न रेलों द्वारा अलग-अलग अर्थ लगाया जा रहा है। अत: बोर्ड द्वारा मामले पर विचार किया गया है तथा निम्नलिखित पैराग्राफों में स्थिति स्पष्ट की गई है।

4. रेलवे कर्मचारियों के आवधिक स्थानांतरण के लिए अनुदेशों में कर्मचारियों की दो बड़ी कोटियां शामिल हैं।

(6)

§I§ §क§ कर्मचारियों की पहली कोटि में वाणिज्य विभाग के कर्मचारी §जैसे वाणिज्य पर्यवेक्षक, पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक, बुकिंग क्लर्क, गुड्स क्लर्क, पार्सल क्लर्क, टिकट चैकिंग कर्मचारी आदि§ तथा परिचालनिक विभाग के कर्मचारी §स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, आदि§ शामिल हैं।

§ख§ कर्मचारियों की इस कोटि के मामले में बड़े पैमाने पर विस्थापन को रोकने के उद्देश्य से जहां तक संभव हो संबंधित कर्मचारी के आवास में परिवर्तन किए बिना आवधिक स्थानांतरण किया जाए ताकि ऐसे कर्मचारियों को उसी स्टेशन पर अलग स्थान पर अथवा उसी शहरी क्षेत्र में अलग स्टेशन पर स्थानांतरित करके ऐसे स्थानांतरणों का मूल उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

§ग§ बहरहाल, कदाचारों में संलिप्त पाए गए कर्मचारियों अथवा ऐसे कर्मचारियों जिनके विरूद्ध सतर्कता संबंधी मामले सिद्ध हो चुके हैं अंतर्मंडलीय/अंतर्रेलवे स्थानांतरण से संबंधित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

§II§ दूसरी कोटि में मुख्यत: वेतन बिल अनुभागों, भंडार कार्यालयों, लेखा कार्यालयों, ईंधन अनुभागों, चिकित्सा विभाग आदि जैसे कार्यालयों ईंधन अनुभागों, चिकित्सा विभाग आदि जैसे कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें सामान्यत: वरिष्ठता इकाई अलग/बहुत छोटी होने, कार्यालय स्थानीय प्रकृति का होने जैसे कारकों की वजह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, की सीट बदलने से जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्य की प्रकृति बदल जाएगी, आवधिक स्थानांतरण की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।

5. दो मान्यता प्राप्त यूनियनों के पदाधिकारियों के मौजूदा ट्रेड यूनियन क्षेत्राधिकार से बाहर किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के मामले में रेलवे बोर्ड के दिनांक 31.7.61 के पत्र सं. ई(एल)61 एफ ई।-43 में अंतर्विष्ट अनुदेश लागू होंगे। तदनुसार, यदि इसमें प्रस्तावित आवधिक स्थानांतरण ट्रेड यूनियन के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन शामिल हैं तो उसे यूनियन पदाधिकारियों के अगले चुनाव तक अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए लंबित रखा जाए बशर्ते कि ऊपर पैरा 4(i) (ग) में दी गई परिस्थितियों के तहत पहले स्थानांतरण करना अनिवार्य न हो।

कृपया पावती दें।

(जे. एस. गुसाईं)
संयुक्त निदेशक स्था (अराज)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एन जी)।-2000/टी आर/17 नई दिल्ली, दिनांक: 26.6.2000

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित :-

1. महासचिव, आल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा न. 256-ई, रेल भवन नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)
3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 प्रतियों सहित)
4. महासचिव, फेडरेशन आफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा न. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियों सहित)
5. महासचिव, भारतीय रेलवे प्रोमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा न. 268, रेल भवन, नई दिल्ली, (5 प्रतियों सहित)

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड